न्यायालय बइजलास (श्री ए0एच0 गौरी, आर0ए0एस0)
कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

अपील संख्या : 8/2006

हरिराम पुत्र किशनाराम जाति विश्नोई निवासी गौडू तहसील कोलायत जिला बीकानेर — अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज — रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :—

श्री हरिराम विश्नोई, अभिभाषक, अपीलार्थी

न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन

—: निर्णय :—

दिनांकः—8—11—2017

अपीलांट ने यह अपील उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं0 1 के आदेश दिनांक 27.10.01 के विरूद्व राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत श्री हरिराम विश्नोई एडवोकेट के माध्यम से इस न्यायालय मे दिनांक 11.9.2002 को पेश की। अपील को समय सीमा मे पेश होना मान्य करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र अपील के साथ पेश किये गये हैं। अपील में मुख्यतः यह कथन किया गया हैं कि अपीलार्थी को ग्राम राणासर के खसरा नं0 212/1 की 30 बीघा बारानी भूमि दिनांक 31.5.79 को अस्थाई आवंटित की गई। जिसका नवीनीकरण प्रतिवर्ष होता आ रहा हैं। अपीलांट का नवीनीकरण इस आधार पर खारिज किया गया कि आवंटन के समय अपीलांट नाबालिग था। जबकि अपीलांट कभी स्कूल गया नहीं, अनपढ एवं भोला—भाला व्यक्ति हैं। अपीलकर्ता आदेश में अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता) बीकानेर के पत्रांक एफ.12(ब)(20) सप्र/2001/1047 दिनांक 20.10.2001 के क्रम मे पत्रावली प्रस्तुत होने तथा मुताबिक जॉच एसीसी कोलायत अपीलांट हरिराम की प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय विश्नोईयों की ढाणी अनुसार जन्मतिथि 11.4.1973 का उल्लेख करते हुए तथा अपीलांट को नाबालिग मानते हुए आवंटन का पात्र नही माना। जबकि सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा प्रकरण मे जॉच नही की जा सकती तथा अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता) बीकानेर किसी प्रकार के आवंटन खारिज करने के निर्देश नही दे सकते । अपीलांट को बिना कोई नोटिस, सूचना व सनुवाई का अवसर दिये एकतरफा तौर पर आवंटन, नवीनीकरण निरस्त करने का आदेश दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्रकरण दर्ज किया गया । अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली काफी अरसे से उपलब्ध नही होने के कारण बतौर वर्तमान क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत ने अन्य सहायक अभिलेख जैसे टी.सी. नवीनीकरण का रजिस्टर मय दस्तावेज साक्ष्य नकल खसरा गिरदावरी संवत 2055 से 2058, 2059 से 2063 एवं 2063 से 2066 की छायाप्रतियां पत्रांक ओके/2205 दिनांक 27.10.2017 के द्वारा प्रेषित किया हैं। इन दस्तावेजात को

शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण मे बहस अन्तिम दिनांक 1.11.2017 को सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे अंकित उपरोक्त तथ्यों को दोहराया तथा अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

वकील अप्रीलांट के कथनों पर विचार किया गया एवं पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पारित अपीलकृत आदेश अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता) बीकानेर के निर्देशो एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत की जॉच पर आधारित हैं। ऐसा अपीलान्ट ने अपने अपील मीमो मे भी उल्लेख किया है तथा अन्य सहायक अभिलेखो से भी प्रमाणित होता है ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता) बीकानेर के निर्देशो एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत की जॉच से व्यथित थें तो उन्हें अगले उच्चतर न्यायालय मे कार्यवाही करनी चाहिए थीं। इसके अतिरिक्त नवीनीकरण रजिस्टर ग्राम राणासर की प्रविष्टि सं0 101 के अनुसार अपीलांट को किया गया आवंटन निरस्त कर नवीनीकरण नही किया गया। नवीनीकरण के निरस्त किये जाने के पश्चात् कभी भी अपीलान्ट के नाम प्रश्नगत भूमि की कब्जा काश्त मुताबिक गिरदावरी सं0 2055–58, 2059–62 , 2063–66 मे प्रमाणित नही होता है। अस्थायी आवंटन की शर्तों के अनुसार आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त करने तथा शर्तो का पालना करने पर ही नवीनीकरण किया जा सकता हैं। अपीलांट की ओर से आवंटित भूमि का लगातार नवीनीकरण होने तथा भूमि पर कब्जा काश्त होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया हैं। इसके अतिरिक्त अपील मियाद के अंदर प्रस्तुत नही हुई हैं। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पत्र मे अपीलकृत आदेश की सर्वप्रथम जानकारी का स्त्रोत भी स्पष्ट नही हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील गुणावगुण व मियाद दोनों ही बिन्दुओं पर खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 8.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए0एच0 गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर